

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ रोड़ ज्योति नगर, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ4(ई)(1)(6)/निप/भर्ती-2023/(अलेसे-III/1754 दिनांक :- 17/09/2025

कार्यालय आदेश

सुश्री पूजा शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार (रो.नं.-727393) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), को कार्यालय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक 61365 (राजकाज संदर्भ क्रमांक 16400449) दिनांक 08.07.2025 के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 अन्तर्गत एवं वित्त विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 एवं दिनांक 22.02.2021 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 07.05.2025 से 04.06.2025 तक (कुल 29 दिवस)

उक्त 29 दिवस के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज कार्मिक सुश्री पूजा शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे। उपरोक्तानुसार स्वीकृत अवकाश अवधि तक के लिए कार्मिक के परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ4(ई)(1)(6)/निप/भर्ती-2023/(अलेसे-III/1754 दिनांक :- 17/09/2025
प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कार्यालय संयुक्त आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. सुश्री पूजा शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार (रो.नं.-727393) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), कार्यालय संयुक्त आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

(सीमा कौशलन)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)